MOL/SECTT/2020
March 23, 2020

BSE Limited Corporate Relationship Department 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P.J. Towers, Dalal Street, MUMBAI 400001 **Scrip Code: 521018**	**National Stock Exchange of India Limited** Listing Department, Exchange Plaza, C-1, Block – G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),MUMBAI- 400051 **Scrip Code: MARALOVER**

Sub: Closure/Shutdown of the operations at Units and Offices of the Company in the wake of Covid-19 Pandemic

Dear Sir/Madam,

In compliance to Clause 6 of Part B, Schedule III of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended, please take note that in view of attached Office Order dated 22nd March, 2020 of Government of Uttar Pradesh enforcing lock down with effect from 23rdMarch,2020 due to COVID-19, resulting into closure of all industrial/commercial units other than exempted ones, we have shut down operations of all manufacturing plants of the Company located at State of Uttar Pradesh.

It may further be noted that, keeping in view the enforcement of Section 144 of Code of Criminal Procedure 1973 in the Khargone District of Madhya Pradesh by the District Magistrate, Distt. Khargone, Madhya Pradesh vide their attached order dated 22nd March, 2020 due to COVID-19, as a pre-emptive measure, the Company has decided to shut down its Manufacturing unit located at Distt. Kahargone starting from today's evening shift to the morning shift of 25th March, 2020.

Further, in view of similar measure being taken by other State Governments to contain spread of COVID-19, our Corporate Office located in NCR and marketing/other offices of the Company situated pan India have been closed and the Employees have advised to work from home to the extent possible.

The Company is in the process of making efforts to minimizing losses which may arise consequent to aforesaid closure. The resumption of operations would depend upon the actual future situation and we will inform accordingly.

Thanking You,

Yours faithfully,
For MARAL OVERSEAS LIMITED

VIRENDRA KUMAR GARG
COMPANY SECRETARY
FCS – 7321
Encl.: As above

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5
संख्याः–679/पांच–5–2020
लखनऊ, दिनांक : 22 मार्च, 2020

कार्यालय आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 की धारा (2),(3),(4) एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड–19 विनियमावली, 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश के 16 जनपदों (लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आजमगढ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, बरेली, कानपुर नगर, मेरठ, गोरखपुर, अलीगढ, सहारनपुर, पीलीभीत) में दिनांक 23 मार्च, 2020 से 25 मार्च, 2020 तक आवश्यक सेवाओं को छोडकर समस्त सरकारी कार्यालय,शैक्षणिक संस्थान, अर्द्धसरकारी उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, राजकीय निगम/मंडल एवं समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशाप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि) आदि पूर्णतया बंद रहेंगे।

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर स्थिति का आंकलन कर आवश्यक सेवाओं को परिभाषित किया जा सकेगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निम्न सेवाओं को आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित किया गया हैः–

1. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
2. चिकित्सा शिक्षा
3. गृह एवं गोपन/कारागार प्रशासन एवं सुधार(पुलिस/सशस्त्र बल एवं अर्द्धसैन्य बल)
4. कार्मिक विभाग एवं जिला प्रशासन
5. ऊर्जा (समस्त बिजली के कार्यालय व बिलिंग सेन्टर)
6. नगर विकास
7. खाद्य एवं रसद (फल/सब्जी/दूध/डेरी/किराना/पेयजल)
8. आपदा एवं राहत/राज्य सम्पत्ति विभाग
9. सूचना, जनसम्पर्क एवं सूचना प्रौद्योगिकी
10. अग्नि शमन/सिविल डिफेन्स
11. आपात कालीन सेवाएं
12. टेलीफोन/इंटरनेट/डेटा सेन्टर/नेटवर्क सर्विसेज/आई0टी0 इनेबिल्ड सर्विसेज एवं आई0टी0 संबंधित सेवाए, ऐसे डेटा सेन्टर जो आई0टी0 सर्विसेज के संचालन के लिए आवश्यक है
13. डाक सेवाएं
14. बैंक/एटीएम/बीमा कम्पनियॉ
15. ई–कॉमर्स (खाद्य वस्तु,होम डिलिवरी, ग्रॉसरी)
16. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया
17. पेट्रॉल पम्प, एलपीजी गैस, ऑयल एजेन्सी (इनसे सम्बन्धित गोदाम एवं परिवहन के साधन)
18. दवा की दुकान, चिकित्सकीय उपकरण, सामग्री एवं दवाईयो की निर्माण इकाईयॉ
19. आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खाद्य सामग्री, कृषि उत्पाद एवं उनसे सम्बन्धित निर्माण इकाईयां एवं उनके थोक एवं फुटकर विक्रेता
20. पशु चिकित्सा एवं पशु आहार से सम्बन्धित इकाईयां एवं विक्रेता।

Scanned with CamScanner

इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में आम जन के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। आवश्यक सेवाओं वाले विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की स्थिति घर से कार्य करने (Work from Home) की रहेगी। यद्यपि उन्हें फील्ड ड्यूटी हेतु निर्देशित करने के लिए सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, जिला कलेक्टर या सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी स्वतंत्र होंगे। इस दौरान किसी भी सरकारी कार्मिक को विशेष या अपरिहार्य स्थिति के अलावा कोई अवकाश या मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिन कार्मिको की स्थिति घर से कार्य करने की है, उन्हें कार्यालय समय के दौरान घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

इस अवधि में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन, रोडवेज, सिटी ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट बसें, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा आदि के अर्न्तराज्यीय (Inter State), अन्तराराज्यीय (Intra State) संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यद्यपि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से घर के लिए सीमित संख्या में जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध रहेंगे। सामग्री आपूर्ति वाले वाहन, चीनी मीलों के गन्ना ढुलाई करने वाले वाहन सहित, प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। आकस्मिक स्थित में अस्पताल जाने हेतु निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा।

बंद के दौरान आपात स्थिति में आवश्यकतानुसार परिवहन साधनों को परमिट जारी करने के लिए मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह/प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संबंधित जनपद के जिला कलेक्टर/पुलिस आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी ही अधिकृत होंगे। आमजन को सूचना एवं सुविधा हेतु जिले के नियंत्रण कक्ष एवं संबंधित अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर प्रकाशित किये जाएं।

05 से अधिक व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकठ्ठे होने की पूर्णतः मनाही रहेगी। किसी भी सामाजिक/सास्कृतिक/ राजनैतिक/धार्मिक/ शैक्षणिक/खेल/ संगोष्ठी/सम्मेलन/धरना आदि का आयोजन निषिद्ध रहेगा। साप्ताहिक बाजारो का आयोजन, प्रदर्शनियॉ आदि भी निषिद्ध रहेंगी।

यदि किसी स्थापना/सेवा के संबंध में यह भ्रम हो कि वह आवश्यक सेवाओं में आता है या नहीं तो उसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट को होगा।

सभी जनपदों के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट को एतद्द्वारा अपने क्षेत्र में उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक दशा में कठोरतापूर्वक अनुपालन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु अधिकृत किया जाता है। उपरोक्त अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर स्थानीय पुलिस द्वारा पुलिस सुविधा उपलब्ध करायी जायगी।

इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेश यथावत प्रभावी रहेंगे। भ्रम की स्थिति में राज्य सरकार आवश्यक निर्देश/स्पष्टीकरण निर्गत करेगी।

उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। उक्त आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

22.3.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

संख्या–679(1)/पांच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

22/03/2020

आज्ञा से,

22.3.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन म.प्र.

क्रमांक/ 2853 /सां.ले./2020 खरगोन, दिनांक 22/03/2020

:: आदेश ::

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत)

{ पारित दिनांक 22/03/2020 }

चीन के वुहान प्रांत से COVID-19 (कोरोना वायरस) का संक्रमण प्रारंभ होकर वर्तमान तक विश्व के 150 देशों में फेल चुका है तथा लगभग डेढ लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित है। पडोसी राज्य महाराष्ट्र में भी इस बीमारी से लगभग 47 व्यक्ति प्रभावित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोरोना वायरस रोग के फेलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए महामारी (Pandemic) घोषित किया गया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-02/2020/सत्रह/मेडी-2 दिनांक 07 मार्च 2020 के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 अन्तर्गत् नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। अत: मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के उपबंध के परिपेक्ष्य में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे की उत्पन्न स्थिति एवं इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जन सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए खरगोन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2802-2803/सा.ले./2020 खरगोन दिनांक 19/03/2020 से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के अलावा मैं, **गोपाल चन्द्र डाड, जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन** दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का आदेश देता हूं :-

1. खरगोन जिले की सीमाओं में समस्त प्रकार के व्यावसायिक परिवहन बंद, बस सेवाऐं, ट्रांसपोर्ट, आयशर, पीकअप वाहन, ऑटो रिक्शा इत्यादि के संचालन को प्रतिबंधित किया जाता है।
2. मेडिकल दुकान और हॉस्पिटल, सब्जी, किराना दुकान, दुध की दुकान, सॉची पार्लर, पेट्रोल पंप, पीडीएस दुकान को छोडकर शेष समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा दुकाने, खाने पीने के रेस्टोरेंट तथा बाजार पूर्णत: बंद रहेंगे।
3. खरगोन जिले में किसी भी रास्ते से किसी भी माध्यम से बाहर से आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाता है। अत्यावश्यक होने पर बाहर से आने वाला व्यक्ति संबंधित थाने पर अपनी संपूर्ण जानकारी फार्म में भरकर देगा तथा मेडिकल दल से जांच कराने के पश्चात अनुमति दी जावे।

चूँकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है, और न ही यह संभव है कि उक्त आदेश की सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावे। अत: दण्ड प्रक्रियां संहिता 1973 की धारा144-(2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय आदेश संपूर्ण खरगोन जिले की राजस्व सीमा हेतु पारित किया जाता है। यह अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 22/03/2020 सायं 09.00 बजे से दिनांक 24/03/2020 को रात्रि 12.00 बजे तक लागू रहेगा।

22/3/2020

Scanned with CamScanner

इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधित को व्यक्तिश: कराना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 134 (2) के अंतर्गत सहायक संचालक, जनसंपर्क, खरगोन को निर्देशित किया जाता है कि समाचार-पत्रों, स्थानीय केबल प्रसारण के माध्यम से समाचार के रूप में उक्त आदेश जन सामान्य को प्रसारित करावें। स्थानीय निकाय व जिलें के समस्त थाना प्रभारी भी अपने-अपने माध्यमों से जन सामान्य को आदेश से अवगत करावेंगे। इस आदेश का विधिवत प्रकाशन एवं प्रसारण किया जावे। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध **भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188** के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

22/3/2020

(गोपाल चंद्र डाड)
जिला दंडाधिकारी
जिला-खरगोन म.प्र.

पृ.क्रमांक/ 2854 /सां.ले./2020 खरगोन, दिनांक 22 /03/2020

प्रतिलिपि-:

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर।
3. पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर रेंज इंदौर।
4. उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड़ रेंज खरगोन।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला खरगोन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन की ओर भेजकर लेख है कि आदेश की मुनादी/चस्पादगी जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में उचित माध्यम से करावे।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, (समस्त)............................जिला खरगोन।
9. अनुविभागीय अधिकारी,(पुलिसं) (समस्त)............................जिला खरगोन।
10. परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, खरगोन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सहायक संचालक, जनसंपर्क खरगोन की ओर भेजकर लेख है कि समस्त स्थानीय न्यूज पेपर में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।
12. तहसीलदार/थाना प्रभारी (समस्त)............................।
13. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, (समस्त)..........................।
14. प्रभारी अधिकारी पुलिस कंट्रोल रूम खरगोन।

22/3/2020.

जिला दंडाधिकारी
जिला-खरगोन म.प्र.

Scanned with CamScanner